संख्या– /VI-4/2025–62(06)22 E-43408

प्रेषक,

अमित कुमार सिन्हा,
विशेष प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल,
उत्तराखण्ड।

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अनुभाग देहरादून दिनांक : नवम्बर, 2025

विषय :– प्रान्तीय रक्षक दल स्थापना दिवस के आयोजन हेतु सामान्य दिशा–निर्देश/कार्ययोजना विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1750/दो–लेखा/स्था0दि0/2025–26 दिनांक 12.11.2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग के अन्तर्गत प्रान्तीय रक्षक दल स्थापना दिवस समारोह का आयोजन निम्नांकित कार्ययोजना/सामान्य दिशा–निर्देशों के अनुसार करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. परिचय– भारत के अनन्तिम संविधान (आदेश 1947) द्वारा यथा अनुकूलित तथा 11 दिसम्बर 1948 को संयुक्त प्रान्त सरकार के राजपत्र में प्रकाशित प्रावधानों के अंतर्गत, भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 75 के अधीन एक महत्त्वपूर्ण बल के गठन का उपबंध किया गया। दिनांक 04 दिसम्बर 1948 को संयुक्त प्रांत के भीतर सार्वजनिक शांति की रक्षा, जन–सहयोग एवं अनुशासन की भावना के विकास, शस्त्र–प्रशिक्षण से जुड़े व्यक्तियों के मार्गदर्शन तथा समाज के लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संयुक्त प्रांत रक्षक दल की स्थापना की गई।

2. उद्देश्य एवं लक्ष्य– यह बल उस समय की प्रशासनिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, नागरिक सुरक्षा और सामुदायिक सहभागिता के लिए एक संगठित संरचना के रूप में अस्तित्व में आया। अतः 11 दिसम्बर को प्रान्तीय रक्षक दल स्थापना दिवस समारोह के आयोजन का उद्देश्य इस बल की स्थापना के कारण, उसकी भूमिका और समय–समय पर किए गए महत्वपूर्ण योगदान को स्मरण करते हुए उनके कार्यों को सम्मान देना तथा दल के सदस्यों को सार्वजनिक शांति, अनुशासन, स्वयं–सहायता, नागरिक सुरक्षा एवं कर्तव्यनिष्ठा और सेवा–भाव का पुनर्स्मरण कराना एवं सामूहिक गतिविधियों और औपचारिक कार्यक्रमों के माध्यम से दल में एकजुटता, अनुशासन और टीम–स्पिरिट की भावना विकसित करना है।

3. युवाओं के चयन का मानक :– पी0आर0डी0 स्थापना दिवस में उन्हीं वर्दीधारी पी०आर०डी० स्वयंसेवकों को सम्मिलित किया जायेगा, जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य हो तथा ऊँचाई पुरूष स्वयंसेवक हेतु 160 सेमी० एवं महिला स्वयंसेवक हेतु 147 सेमी० मानक से कम न हो। स्वयंसेवक का परेड हेतु प्रदर्शन एवं स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। परेड में प्रतिभाग करने हेतु जिन स्वयंसेवकों द्वारा विगत 02 वर्ष में पी0आर0डी0 स्थापना दिवसों में प्रतिभाग किया गया हो, उनके स्थान पर अन्य प्रशिक्षित स्वयंसेवकों को सम्मिलित किया जाएगा। स्थापना दिवस परेड हेतु ऐसे

किसी भी स्वयंसेवक का चयन न किया जाए जो परेड करने में दक्ष न हो एवं किसी प्रकार से दण्डित किया गया हो। इस प्रकार के स्वयंसेवक को चयन करने पर सम्बन्धित जिला युवा कल्याण एवं प्रारद अधिकारी, तथा क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रारद अधिकारी को सम्पूर्ण रूप से उत्तरदायी मानते हुए उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

4. <u>क्रियान्वयन सम्बन्धी महत्वपूर्ण बिन्दु</u> :–

- ❖ स्थापना दिवस में टोली की कमाण्ड सम्बन्धित जनपद के किसी क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी को सौंपी जाएगी।
- ❖ राज्य स्तर पर प्रतिभाग करने वाले पी०आर०डी० स्वयंसेवकों को लाने एवं ले–जाने का उत्तरदायित्व इस हेतु नामित क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रारद अधिकारी का होगा।
- ❖ स्थापना दिवस में सम्मिलित पी०आर०डी० स्वयंसेवकों को स्थापना दिवस से पूर्व रैतिक परेड पूर्वाभ्यास राज्य स्तर पर आयोजित किया जायेगा। पूर्वाभ्यास की अवधि को 22 दिनों तक सीमित किया जाए।
- ❖ पी०आर०डी० स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर होने वाली रैतिक परेड में प्रतिभाग करने वाले स्वयंसेवकों को रू0 5000/– की दरों के अनुसार राज्य स्तर से सैरिमोनियल वर्दी प्रदान की जायेगी, जिसके क्रय आदि के सम्बन्ध में अधिप्राप्ति नियमावली–2025 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। पूर्व में क्रय की गई वर्दियों का स्टॉक, उनकी उपयोगिता एवं नये क्रय की आवश्यकता के सम्बन्ध में प्रस्ताव में सत्यापन प्रस्तुत किया जाए एवं उचित रिकार्ड के साथ वर्दी की न्यूनतम 3 वर्ष की लाइफ–साइकिल सुनिश्चित की जाए, ताकि क्रय केवल एक निश्चित अंतराल पर ही हो। उक्तानुसार विवरण का आगामी वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव में अनिवार्यतः उल्लेख किया जाए। तद्नुसार सैरेमोनियल वर्दी की संख्या प्रस्तावित की जाय।
- ❖ रैतिक परेड के पूर्वाभ्यास हेतु 03 प्रशिक्षकों (जिनकी व्यवस्था पुलिस विभाग के माध्यम से की जायेगी) एवं निर्णायकों/उद्घोषकों के मानदेय एवं भत्तों का भुगतान प्रचलित सरकारी आदेशों अथवा वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित अधिकतम दरों के आधार पर ही किया जाए।
- ❖ स्थापना दिवस के दौरान स्वयंसेवकों की आवासीय व्यवस्था राज्य स्तर पर की जायेगी। स्वयंसेवकों के लिए सरकारी हॉस्टल/संस्थानों के परिसर को प्राथमिकता दी जाए। भोजन व्यवस्था के लिए निविदा (Tender) आमंत्रित की जाए।
- ❖ स्वयंसेवकों को विकासखण्ड मुख्यालय से राज्य स्तर तक आने व जाने का मार्ग व्यय/भोजन व्यय एवं पूर्वाभ्यास अवधि/यात्रा अवधि का ड्यूटी भत्ता निदेशालय स्तर से भुगतान किया जायेगा।
- ❖ मार्ग व्यय का भुगतान सम्बन्धित जनपद के जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी राज्य परिवहन निगम की साधारण बस (Ordinary Bus) के टिकट या सरकारी निर्धारित प्रति किलोमीटर दर के आधार पर ही किया जाए।
- ❖ पी०आर०डी० स्थापना दिवस में आयोजित परेड में विजेता टोलियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान हेतु पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे, जिस हेतु विजेता टोलियों के निर्णय हेतु 03 निर्णायकों की व्यवस्था की जायेगी।

- ❖ पी0आर0डी0 स्थापना दिवस समारोह का आयोजनान्तर्गत व्यय मितव्ययता के आधार पर एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2025 के प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जाएगा।
- ❖ पी0आर0डी0 स्थापना दिवस समारोह के आयोजन हेतु व्यय की मदें :–

क्र0	मद का नाम
1.	समारोह के आयोजन से सम्बन्धित व्यवस्थायें
2.	रैतिक परेड में प्रतिभाग करने वाले पी०आर०डी० स्वयंसेवकों का आने व जाने का अनुमानित मार्ग व्यय/भोजन व्यय आदि
3.	रैतिक परेड में प्रतिभाग करने वाले पी०आर०डी० स्वयंसेवकों की आवासीय व्यवस्था
4.	रैतिक परेड में प्रतिभाग करने वाले पी०आर०डी० स्वयंसेवकों की भोजन व्यवस्था
5.	सैरिमोनियल वर्दी का क्रय प्रति वर्दी रू0 5000/– की दर से किया जाएगा।
6.	विजेता टोलियों को पुरस्कार :– प्रथम पुरस्कार– 40,000 द्वितीय पुरस्कार– 30,000 तृतीय पुरस्कार– 20,000
7.	प्रशिक्षकों/निर्णायकों/उद्घोषकों का मानदेय
8.	अन्य आवश्यक विविध व्यय आयोजन हेतु कुल स्वीकृत धनराशि का अधिकतम 3% तक ही किया जाए।

उपरोक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार ही वार्षिक कार्ययोजना तैयार कर स्वीकृति हेतु शासन को उपलब्ध करायी जाएगी।

भवदीय,

Digitally signed by
Amit Kumar Sinha
Date: 28-11-2025
13:34:02

(अमित कुमार सिन्हा)
विशेष प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या /VI-4/2025–62(06)22 E-43408 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. गार्ड फाईल।

Digitally signed by
GARIMA RAUNKALI
Date: 28-11-2025
13:27:09

आज्ञा से,

(गरिमा रौंकली)
अपर सचिव